

2021
415



सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा.

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
शां पत्र	337 2021	15-12-21	शुभादेवी खुर्द			

अनवान

श्री गोवर्धन कुरोहित

(बनेड़ा सरवर्क शा. के.)

बनाम श्री

राज. सर



निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रेसपो.

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय, मिवेदन है कि भीखवाड़ा अजमेर के 200 बीघे को राजपत्र प्रकाशन अनुसार कौत राज 200 बीघे का दिया गया है अतः शुद्ध किया जाना उचित है।

(Signature)
म. ल. शर्मा
ज. अ. नि. पटवारी अजमेर
25/10/21

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

शुद्ध किया जाना उचित है। *(Signature)*
25/10/21

तहसीलदार (भू.अ.)
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

आदेश

तहसीलदार बनेड़ा की रिपोर्ट के अनुसार
नाम शुद्ध किया जावे।

15/10/21
शिबिर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, [redacted] जिला [redacted]
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प [redacted]

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी [redacted] व भूअ.नि. [redacted] की रिपोर्ट तथा तहसीलदार [redacted] / नायब तहसीलदार [redacted] की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम [redacted] तहसील [redacted] जिला [redacted] की जमाबन्दी संवत् 2020 में खाता संख्या [redacted] में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	[redacted]	86	[redacted]	[redacted]

शिविर प्रभारी
उपखण्ड पीठासीन अधिकारी
प्रशासन लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

दिनांक :- 25/10/2021

क्रमांक:- 89
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार [redacted] को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री [redacted] को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शिविर प्रभारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,